रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216585
CG-DL-E-06032020-216585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941
No. 105] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

फा.सं. एएआई/ऑप्स/707/जी.एच.आर.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम,1994 (1994 का 55) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, एतद्द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज़) विनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज़), द्वितीय संशोधन, विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज़) विनियम 2018, के विनियम 3 में,—

(i) उप विनियम (2) में, "सिविल एंक्लेव्स" शब्दों के लिए "सिविल एंक्लेवस" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,:—

"बशर्ते कि, सुरक्षा कार्यों सहित सेल्फ हैंडलिंग संबंधी सम्पूर्ण कार्यों को किसी भी देश की ऐसी नामित एयरलाइन द्वारा करने की अनुमति दी जायेगी जिसका भारत के साथ द्विपक्षीय वायु परिवहन करार अथवा वायु सेवाएं करार हो। द्विपक्षीय करार के तहत पॉइंट ऑफ कॉल के रूप में करार के किसी एक

खण्ड में, नामित एयरलाइन्स को सेवा हेतु उपलब्ध भारत में रक्षा एयरपोर्टों के सिविल एंक्लेवों को छोड़ कर किसी भी एयरपोर्ट पर सेल्फ हैंडलिंग की अनुमति दी गई हो, साथ ही नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय समय पर तैयार किए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के अनुपालन तथा उनको नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की निगरानी के तहत कार्यान्वित किया गया हो"।

(iii) उप-विनियम (3) में, कोष्ठक और अंक "उप-विनियम (2);" शब्दों के लिए; कोष्ठक और अंक "उप-विनियम (2):" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,:—

"बशर्ते कि, किसी भी देश की नामित कार्गो एयरलाइन (एयरलाइन्स), जिसके/जिनके भारत के साथ द्विपक्षीय वायु परिवहन करार अथवा वायु सेवाएं करार हो, द्वारा भी सुरक्षा कार्यों को किया जा सकता है। ऐसे करार के किसी एक खण्ड में, नामित एयरलाइन्स को, सेल्फ हैंडिलिंग की अनुमति भी इस शर्त के साथ प्रदान की गई हो कि वह समय -समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा बनाए गए तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की निगरानी मे कार्यान्वित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को भी लागू करेंगे"।

अरविंद सिंह, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./492/19]

नोट : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018, की अधिसूचना संख्या फाइल सं. एएआई./ऑप्स/707/जी.एच.आर.-2018 में दिनांक- 26 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित किए गए थे और फ़ाइल सं. एएआई./ऑप्स/707/जी.एच.आर./दिनांक 24 सितम्बर 2019 में संशोधन के पश्चात, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित किए गए थे।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2020

F. No. AAI/OPS/707/GHR.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Regulations, 2018, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Second Amendment, Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Regulation, 2018, in regulation 3,—

   (i) in the sub- regulation (2), for the words “civil enclaves;” The words “civil enclaves:” shall be substituted;

   (ii) after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely,:—

   “Provided that, the full self-handling, including security functions, shall be allowed to be undertaken by the designated airline of a country having a bilateral Air Transport Agreement or Air Services Agreement with India containing a clause permitting self-handling by the designated airlines, at any airport in India available to such airline(s) as a point of call under the bilateral Agreement, except at civil enclaves of defence airports, subject to the condition of compliance with additional security measures as may be made by the Ministry of Civil Aviation from time to time and implemented under oversight of Bureau of Civil Aviation Security”;

   (iii) in the sub- regulation (3), for the words, brackets and figure “sub- regulation (2);” the words, brackets and figure “sub-regulation (2):” shall be substituted;

(iv) after sub- regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely,:—

"Provided that, the security functions may also be undertaken by the designated cargo airline(s) of a country having a bilateral Air Transport Agreement or Air Services Agreement with India containing a clause permitting self-handling by the designated airlines, subject to the condition of compliance with additional security measures as may be made by the Ministry of Civil Aviation from time to time and implemented under oversight of Bureau of Civil Aviation Security."

ARVIND SINGH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./492/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 30th October, 2018, *vide* notification number F. No. AAI/OPS/707/GHR-2018, dated the 26th October, 2018 and subsequently amended *vide* F. No. AAI/OPS/707/GHR, dated the 24th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 24th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.06 20:04:41 +05'30'